

न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिलाभिण्ड

मध्यप्रदेश

पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 557 / 2014

संस्थापित दिनांक 30.06.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0.

..... अभियोजन

बनाम

1. राकेश सिंह राणा पुत्र गजराज सिंह राणा
उम्र—38साल निवासी जिगनिया थाना
हस्तनापुर, जिला ग्वालियर म0प्र0
2. बंटी राणा पुत्र करतार सिंह जाट उम्र—37
साल निवासी ग्राम चितौरा जिला भिण्ड

..... अभियुक्त

::— निर्णय —::

(आज दिनांक 13 / 10 / 2014 को घोषित किया)

1. आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 279, 337, एवं धारा 188 (2) मोटरयान अधिनियम के अपराध के आरोप हैं कि आरोपी राकेश ने दिनांक 20 / 06 / 14 के सुबह 10:15 बजे ग्राम बगथरा के आगे चितौरा तरफ मौ रोड पर बस क्रमांक एम.पी.07एफ.1129 को तेजी वलापरवाही से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न कारित किया व बस क्रमांक एम.पी.07एफ.1129 को तेजी व लापरवाही से चलाकर आहतगण बुद्धसिंह, जाहिद खां, मुवीन खां, मंसूर खां को टक्कर मारकरा स्वेच्छा उपहति कारित की व आरोपी बंटी ने बस क्रमांक एम.पी.07एफ.1129 में सवरिया से अधिक पैसे लेकर उन्हें टिकिट नहीं दिया गया।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि विचारण के दौरान फरियादी का आरोपीगण के मध्य आपसी राजीनामा किया जा चुका है।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि फरियादी मूवीन खान ने मय आहत जाहिद खां, बुद्ध सिंह, मंसूर खा के साथ पुलिस थाना गोहद में दिनांक 20 / 6 / 14 को उपस्थित होकर इस आशय की जुवानी रिपोर्ट की कि आज वह मिनी बस कटटा क्रमांक एम.पी.07एफ.1129 से

जंगलपुरा से पाली चितौरा होकर गोहद आ रहा था चालक राकेश राणा काफी तेज रफ्तार व लापरवाही से वाहन चला रहा था कंडेक्टर, बंटी राणा चितौरा का ठासठास सवारियों मिनी बस के अंदर भर रहा और उपर छत पर बैठा था । 50-55 सवारियां थी जिन्हें कंडेक्टर ने टिकिट नहीं दिये परमिट सीमा से ज्यादा सवारियों भरे था चालक राकेश तेज चला रहा था तो उसने व सवारियों ने मना किया लेकिन कंडेक्टर बोला तेज चलाओ हम देख लेंगे जिससे काफी तेज व खतरनाक तथा लापरवाही से चलोन से मिनी बस बगथरा झूम लेकर पलट गा जिससे उसके मुह पर नीचे के ओठ, बाये हाथ की कलाई पर चोट आई जाहिद, मंसूर, बुद्ध सिंह को चोटें आई ।

4. फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद द्वारा अप0क्र0 216/14 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया । विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया व आहतों का मेडीकल कराया एवं संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

5. आरोपी राकेश के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 279, 337, एवं आरोपी बंटी को धारा 188 (2) मोटरयान अधिनियम के आरोपो की विवेचना की गई आरोपीगण ने उक्त आरोपो को अस्वीकार कर विचारण न्यायालय से चाहा ।

6. प्रकरण में फरियादी, पक्ष द्वारा आरोपीगण से राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी राकेश को भा0द0वि0 की धारा 337 में दोषमुक्त किया गया जाकर आरोपी राकेश को भा.द.वि.की धारा 279 एवं आरोपी बंटी को 188 (2) मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत विचारण जारी है ।

7. प्रकरण में निम्नलिखित अवधारणीय प्रश्न यह है कि :-

1. क्या आरोपी राकेश ने मिनी बस क्रमांक एम.पी.07एफ.1129 को तेजी व लापरवाही से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न कारित किया?

2. क्या आरोपी बंटी ने मिनी बस क्र. एम.पी.07एफ.1129 में सवारियों से अधिक पैसे लेकर उन्हें टिकिट नहीं दिया?

सकारण निष्कर्ष

8. प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने हेतु दोनों विचारणीय बिन्दुओं की विवेचना एक साथ की जा रही है । जिसके संबंध में मुवीन खां

आ0सा01 के द्वार प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है। इस साक्षी का कहना है कि सुबह का समय था कटटा में बैठकर जंगलपुर से पाली चितौरा होकर गोहद आ रहा था तभी कटटा ग्राम बगथरा के आगे चितौरा मोड़ पर अचानक पलट गया कटटा कैसे पलटा उसे पता नहीं डायवर कौन था उसे मालूम नहीं है। कटटा पलटने से उसके होठ के नीचे थोड़ी में व बायी कलाई में चोट आई थी। पुलिस ने मौके पर आ गई थी उसने थाने पर जाकर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई जो प्र0पी01 की है जिसपर उसका निशानी अंगूठा लगा है। घायलों में उसके परिवार के जाहिद व मंसूर खां को भी चोटें आई थी। साक्षी के द्वारा वाहन को तेज व लापरवाही से वाहन चलाये जाने का कथन न देने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया है कि आरोपी ने वाहन को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित की थी। साक्षी के कथनों से लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाये जाने की घटना प्रमाणित नहीं होती है।

9. बुद्ध सिंह गुर्जर आ0सा02 का कहना है कि सुबह का समय था वह कटटा में बैठकर गोहद आ रहा था कटटा अचानक आवाज करते हुये ग्राम बगथरा के आगे चितौरा तरफ रोड पर पलट गया जिससे उसे कमर व पैर में चोट आई थी तथा अन्य सवारियों को भी चोटें आई थी। साक्षी के द्वारा वाहन को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाये जाने की घटना का समर्थन न किये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया है कि आरोपी राकेश राणा ने बस क्रमांक एम.पी. 07एफ.1129 को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाकर पलट दिया था। साक्षी के कथनों से वाहन के तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाये जाने की घटना लेसमात्र भी प्रमाणित नहीं होती है।

10. जाहिद खां आ0सा03 का कहना है कि करीब 02 माह पहले जंगलपुरा से पाली चितौरा होकर बस में बैठकर गोहद आ रहा था तभी रास्ते में टायर फटने से कटटा पलट गया कटटा धीरे-धीरे चल रहा था फिर भी पलट गया जिससे उसके परिवार के लोग मुवीन खां व मंसूर खां को चोट आई थी। साक्षी के द्वारा वाहन के तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाये जाने की घटना का समर्थन न किये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया है कि आरोपी ने वाहन को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित की थी।

11. मूसर खां आ0सा04 का कहना है कि करीब 02 माह पहले जंगलपुरा से कटटा में बैठकर गोहद आ रहा था ग्राम बगथरा के आगे चितौरा तरफ मौ रोड पर कटटे का टायर फटने से कटटा पलट गया जिसमें बस में बैठी सवारियों को चोट आई थी कटटा कौन चला रहा

थाउसेपता नही साक्षी ने तेज व लापरवाहीपूर्वक वाहन को चलाये जाने का समर्थन नकिये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया हैकि आरोपी ने वाहन को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित की थी।

12. प्रकरण में फरियादी व आहतों का आरोपी के मध्य हुये आपसी राजीनामा से यह विदित होता हैकि फरियादी व साक्षियों ने आपसी राजीनामा से प्रभावित होकर न्यायालीन अभिलेख पर कथन दिये है जिससे घटित घटना प्रमाणित नहीं होती है। प्रकरण में अन्य कोई साक्षी नहीं है।

13. प्रकरण में मुवीन खां आ0सा01,बुद्ध सिंह आ0सा02,जाहिद खां आ0सा03,मंसूर खां आ0सा04 घटना के अतिमहत्वपूर्ण साक्षी होकर दुर्घटना में घायल साक्षी है जिनके द्वारा न्यायालीन अभिलेख पर आरोपी राकेश राणा को पहचाने से इंकार किया है साक्षी के कथनो से आरोपी की पहचान सुनिश्चित नही होती है उक्त साक्षियो ने वाहन को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाये जाने की घटना का समर्थन नही किया है साक्षी के कथनो से वाहन को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाये जाने की घटना पूर्णतः अप्रमाणित पाई गई। साक्षियों के कथनों से इस तथ्य का लेसमात्र भी समर्थननही होता हैकि आरोपी ने वाहन को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित की थी।

14. प्रकरण में आरोपी बंटी के विरुद्ध इस आशय की साक्ष्य नही है कि आरोपी बंटी ने पैसे लेकर उन्हें टिकिट नहीं दिया है ओर न ही इस प्रकार की साक्ष्य हैकि टिकिट देने से अधिक पैसे प्राप्त किये थे आरोपी बंटी के विरुद्ध किसी भी साक्षी ने न्यायालीन अभिलेखपर कोई कथन नही किया है ऐसी स्थिति में आरोपी बंटी के विरुद्ध अभियोजन मामला लेसमात्र भी प्रमाणित नहीं होता है।

15. प्रकरण में के विरुद्ध भा.द.वि.की धारा 279 एवं धारा 188 (2) मोटरयान अधिनियम के अपराध पूर्णतः अप्रमाणित पाये गये शेष अपराधों में आपसी राजीनामा किया जा चुका है अतः आरोपी राकेश को भा. द.वि.की धारा 279 एवं आरोपी बंटी को धारा 188 (2) मोटरयान अधिनियम के आरोपित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है आरोपीगण के जमानत मुचलके भारहीन होने से उन्मोचित किया जाता है।

16. प्रकरण मे जप्पशुदा बस क्रमांक एम.पी.07एफ.1129 जी. 8519 पूर्व से पंजीकृत स्वामी की सुर्पुदगी में है अतः सुर्पुदगीनामा अपील अवधि पश्चात स्वमेव निरस्त माना जावे।

17. प्रकरण मे धारा 428 द0प्र0स0 के तहत प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।

18. प्रकरण में अभियाजन की ओर से माननीय अपीलीय न्यायालय में अपील या याचिका दायर की जाती है तो आरोपीगण माननीय न्यायालय के समक्ष उप0रहे इस संबंध में धारा 437ए द0प्र0स0 के तहत 10 हजार रुपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत करें।

निर्णय खुले न्यायालयमे हस्ताक्षरितव
दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देश पर टाईप किया

हस्ता0 / सही
जे0एम0एफ0सी0गोहद

हस्ता0 / सही
जे0एम0एफ0सी0गोहद